Regional Office
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
D- Block, Ambedkar Nagar, Alwar-301001
Website www.rpcb.nic.in

RPCB/RO/ALW/G-241/979 Date: 11-07-18

Member Secretary,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur.

Group – CD & Project

Sub:- Public Hearing in the matter of Environmental Clearance to M/s Alchem International Pvt. Ltd., SP2-5 RIICO industrial area phase-I, Neemrana, District Alwar (Raj.) for their proposed expansion of production capacity with change in product mix for manufacturing of herbal extract and active pharmaceutical ingredients.

Ref:- This office letter no. राप्रनिम/क्षेका/अलवर/जी–241/287–295 दिनांक 02/05/2018.

Sir,

It is submitted that public hearing for the above cited proposed project was conducted on 20-06-2018. Kindly find enclosed two copies of minutes of the public hearing, attendance sheet, two soft copies of videography and two sets of photographs of the public hearing for further action at H.O. level.

Encl : As above

Yours Faithfully

-sd-
(O.P. Gupta)
Regional Officer

Copy to following for information and further necessary action:
1. District Collector, Alwar.
2. Analyst Cum Programmer, RSPCB Jaipur.
3. M/s Alchem International Pvt. Ltd., SP2-5 RIICO industrial area phase-I, Neemrana, District Alwar.

Regional Officer

I.A. (Lalit) upload on website
16.7.18

Scanned by CamScanner

मै0 एल्केम इन्टरनेशनल प्रा0 लि0, एसपी 2–5, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेज प्रथम, नीमराना, जिला–अलवर द्वारा हर्बल एक्सट्रेक्स और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री के निर्माण के लिए उत्पाद मिश्रण में बदलाव के साथ उत्पादन क्षमता का प्रस्तावित विस्तार हेतु परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबध में आयोजित जन सुनवाई दिनांक 20.06.2018 का कार्यवृत्त (मिनिट्स)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत, मै0 एल्केम इन्टरनेशनल प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0 एसपी 2–5, रीको औधोगिक क्षेत्र, फेज प्रथम, नीमराना, जिला–अलवर द्वारा हर्बल एक्स्ट्रेक्स और सकिय फार्मास्युटिकल सामग्री के निर्माण के लिए उत्पाद मिश्रण में बदलाव के साथ उत्पादन क्षमता का प्रस्तावित विस्तार हेतु परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबध में जन सुनवाई दिनांक 20.06.2018 को प्रातः 11:00 वजे, नीमराना इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (एनआईए) भवन, फायर स्टेशन के पास, रीको औद्योगिक क्षेत्र नीमराना में श्री बी. एल. रमण, अतिरिक्त जिला कलक्टर–द्वितीय, अलवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ठ– 'अ' पर संलग्न है। जन सुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 19.05.2018 को दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित करवाई गयी थी जिसकी प्रतियां परिशिष्ठ– 'ब' पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये श्री ओ.पी. गुप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, अलवर ने सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जन सुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मै0 एल्केम इन्टरनेशनल प्रा0 लि0 के पर्यावरण सलाहकार को प्रस्तावित परियोजना के संबंध में विस्तृत रूप से प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया।

Scanned by CamScanner

परियोजना के बारे में मै0 एल्केम इन्टरनेशनल प्रा0 लि0 की ओर से उनके पर्यावरण सलाहकार दिव्येश गिरि गोस्वामी, प्रतिनिधि मैसर्स एन्के एन्वायरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सारांश प्रतिवेदन के बारे में बताते हुये स्पष्ट किया कि पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुये मै0 एल्केम इन्टरनेशनल प्रा0 लि0 द्वारा किस प्रकार परियोजना का विकास किया जावेगा।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., अलवर ने जन सुनवाई में उपस्थित लोगों को प्रस्तावित परियोजना बाबत सुझाव/आक्षेप हेतु आमंत्रित किया ।

सर्वप्रथम श्री मानेन्द्र सिंह भाटी, निवासी ग्राम पीपली, नीमराना, जिला अलवर, ने पूछा कि प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा व यह भी जानकारी चाही गई कि उद्योग द्वारा भू–जल का दोहन किया जायेगा जिससे भू–जल कम होगा, उसके लिए उद्योग द्वारा क्या व्यवस्था की जायेगी। मै0 एल्केम इन्टरनेशनल प्रा0 लि0 के पर्यावरण सलाहकार ने स्पष्ट किया कि मै0 एल्केम इन्टरनेशनल प्रा0 लि0 ने जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण मानकों तथा केन्द्रीय/राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निर्देशों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर रखी है तथा आने वाली परियोजना में पर्यावरण के मानकों के अनुसार ही व्यवस्था करेंगे व स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा। पर्यावरण सलाहकार ने आगे बताया कि भू–जल के दोहन हेतु केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण से स्वीकृति हेतु आवेदन कर दिया गया है व भू–जल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल पुनर्भरण संरचना स्थापित करेंगे।

श्री अरविन्द यादव, ग्राम हमजापुर, जिला अलवर द्वारा यह जानकारी ली गई कि उक्त परियोजना से आम जन को क्या फायदा मिलेगा। इस बारे में उत्तर देते हुए मै0 एल्केम इन्टरनेशनल प्रा0 लि0 के प्रतिनिधि श्री एन. के. सिंह व सुनील मलिक ने स्पष्ट किया कि उद्योग द्वारा आस–पास के लोगों की शिक्षा व स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए आर्थिक सहयोग किया जा रहा है तथा भविष्य में भी किया जायेगा। सामाजिक दायित्त्व गतिविधि के अन्तर्गत स्थानीय ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान व अन्य संस्था जैसे सी.एम.एच.

Scanned by CamScanner

ओ. के साथ मिलकर हॉस्पिटल (जैसे अतिरिक्त बैड, व्हील चेयर आदि), स्कूल में भवन निर्माण व अन्य कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी।

श्री केशवदेव, ग्राम नागोरी, निवासी बहरोड़, जिला अलवर, द्वारा यह जानकारी चाही गई कि इस परियोजना से पेड़ पौधों के विकास के लिये क्या करेंगे तथा साथ ही यह भी जानकारी चाही गई कि यह क्षेत्र डार्क जोन में आता है, उसके लिए क्या करेंगे। इस बारे में उत्तर देते हुए मै0 एल्केम इन्टरनेशनल प्रा0 लि0 के पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि अगले पांच वर्षो में प्लांट व उद्योग के आस–पास के क्षेत्र में लगभग 2250 पेड़ लगाये जायेंगे। उन्होने बताया कि उद्योग द्वारा केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण में भू–जल के दोहन की स्वीकृति हेतु आवेदन किया जा चुका है। भू–जल के संरक्षण हेतु उद्योग परिसर के पास के गॉवों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाये जायेंगे जिससे भू–जल को संरक्षित किया जायेगा।

श्री संदीप यादव, ग्राम हमजापुर, नीमराना, अलवर द्वारा जानकारी चाही गई कि उद्योग से उत्सर्जित अपशिष्ट जल का निस्तारण किस प्रकार किया जायेगा। इस बारे में उत्तर देते हुए मै0 एल्केम इन्टरनेशनल प्रा0 लि0 के पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि संयंत्र में उत्पन्न अपशिष्ट जल को ई.टी.पी. में उपचारित करेंगे और आर.ओ एवं एम.ई.ई में ले जाकर शोधित किया जाऐगा और शोधित जल का पुनः उपयोग उद्योग में किया जाऐगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान संयंत्र से एक भी बूंद अपशिष्ट जल संयंत्र परिधि के बाहर प्रवाहित नहीं होगा एवं शून्य निस्त्राव की स्थिति प्राप्त की जावेगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान, ग्राम नीमराना, तहसील बहरोड़, जिला अलवर ने बताया कि उद्योग द्वारा प्रति वर्ष वन महोत्सव के दौरान 100 से 125 पेड़ लगाये जाते रहे हैं, जिससे आसपास का पर्यावरण में सुधार हो रहा है।

श्री अशोक कुमार यादव, बिचपुरी द्वारा जानना चाहा कि कर्मचारी भर्ती की क्या प्रकिया रहेगी? परियोजना के प्रतिनिधि ने बताया की कार्मिकों की योग्यतानुसार सीधी भर्ती की जायेगी व अप्रत्यक्ष रूप से भी लोगों को रोजगार मिलेगा।

इसी क्रम में सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर–द्वितीय, अलवर द्वारा मै0 एल्केम इन्टरनेशनल प्रा0 लि0, के प्रतिनिधि को उद्योग और आसपास के क्षेत्र में

Scanned by CamScanner

आगामी मानसून के दौरान पेड़ पौधे लगाने का सुझाव दिया तथा भू–जल संरक्षण व स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए परियोजना प्रस्तावक को कार्य करने के लिए कहा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर ने कहा कि आपके द्वारा बताये गए सुझावों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त मे शामिल करते हुए सक्षम प्राधिकरण को प्रेषित कर दिया जावेगा। साथ ही उन्होंने जनसुनवाई में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों को उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दिया।

(ओ.पी.गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं.,अलवर

(बी.एल. रमण)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर–द्वितीय
जिला–अलवर

Scanned by CamScanner